न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर :– 26 / 2024 (जी सी एम एस नम्बर 2024 / 53)

उनवानी प्रकरण :–

1–उत्तम सिंह पुत्र कोक सिंह | समस्त जातिगण लोधा
2–मनोज कुमार पुत्र कोक सिंह |
3–नीरेन्द्र कुमार पुत्र कोक सिंह |
4–अनारदेई पत्नी स्व. रमेशचन्द | निवासीगण ग्राम मलिकपुर
5–अनीता पुत्र स्व. रमेशचन्द्र |
6–सुनीता पुत्री स्व. रमेशचन्द | तहसील मंनिया जिला धौलपुर
7–सतीश कुमार पुत्र स्व. रमेशचन्द |
8–माखन सिंह पुत्र स्व. रमेशचन्द | ....अपीलान्टस

बनाम

1–सोनदेई पत्नी स्व. घूरे | जाति जाटव निवासीगण ग्राम फराकपुर
2–रामविलास पुत्र स्व. घूरे | तहसील व जिला धौलपुर
3–लौंगश्री पुत्री स्व. घूरे पत्नी सुरेशचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम जौनई तह0खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0
4–बेबी पुत्री स्व. घूरे पत्नी शिवसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम गडरपुरा नगरिया फतेहाबाद जिला आगरा उ0प्र0
5–मीना पुत्री स्व. घूरे पत्नी दुशासन जाति जाटव नि0 ग्राम गडरपुरा नगरिया फतेहाबाद जिला आगरा उ0प्र0
6–रेखा पुत्री स्व. घूरे पत्नी अभिषेक जाति जाटव निवासी ग्राम जस्से का नगला ग्वालियर रोड सेवला आगरा तहसील व जिला आगरा उ0प्र0
7–रीना पुत्री स्व. घूरे पत्नी सतीशचन्द जाति जाटव निवासी आनन्द नगर कॉलौनी सैपऊ रोड धौलपुर
8–सविता पुत्री स्व. घूरे पत्नी स्व. बलवीर सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम वीरई सैया जिला आगरा उ0प्र0
9–तहसीलदार तहसील मंनिया जिला धौलपुर ....**रेस्पोडेण्टस**

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 560 ग्राम ऐदलपुर तह0धौलपुर दिनांक 24.03.2008 आदेश तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– दीनदयाल शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1लगा08 की ओर से :– श्री दाऊदयाल शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0सं0 9 की ओर से :– पैरोकार सरकार

जिला कलक्टर
धौलपुर

निर्णय **दिनांक : 12.03.2025**

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि रेस्पो0 संख्या–1 लगा08 के पूर्व पुरूष घूरे पुत्र मवसिया आराजी खसरा संख्या 276/2 रकवा 06 विस्वा ग्राम ऐदलपुर तहसील धौलपुर का तन्हा खातेदार कास्तकार था। उक्त आराजी 06 विस्वा में से 456 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण रेस्पो0सं01 लगा08 के पूर्व पुरूष घूरे ने अपने नाम दिनांक 24.03.2006 को तहसीलदार धौलपुर से कराया था और संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 172 दिनांक 24.03.2006 को विधिवत संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किया था। संपरिवर्तन भू–खण्ड का नक्शा आदेश के साथ संलग्न था जिसमें भूखण्ड की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 58 फुट तथा चौडाई पूरव से पश्चिम 84 फुट 6 इंच थी जिसका कुल क्षेत्रफल 456 वर्गमीटर था जो लगभग 04 विस्वा जमीन होती है तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगा08 के पूर्व पुरूष घूरे ने उक्त आराजी खसरा संख्या की शेष जमीन 56 X 58 फुट = 303 वर्गमीटर जो लगभग 02 विस्वा थी को सडक सीमा में रास्ते की चौडाई के लिए (फुटपाथ) के उपयोग हेतु सरकार के हक में अपने खातेदारी अधिकारों को समर्पित भूमि रूपान्तरण के समय ही कर दिया था जो रूपान्तरित भूमि के लिये रास्ते के लिए थी जिसका इन्द्रांज रूपान्तरण आदेश के साथ संलग्न नक्शा में भी यथा स्थान किया गया था 58 फुट लम्बा और 56 फुट चौडी जमीन के खातेदारी अधिकारों को स्टाम्प पर तहरीर करके रेस्पो0सं01 लगा0 8 क पूर्व पुरूष घूरे ने उक्त शेष जमीन रास्ते की चौडाई के लिए सरकार के हक में समर्पण कर अपने हक त्याग दिया था उस रास्ते की जमीन से घूरे का कोई सम्बध व हक नहीं रहा। उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूखण्ड जी टी रोड के मध्य से 40 मीटर की दूरी पर स्थित था अर्थात 40 मीटर तक की कुल जमीन सडक सीमा में रास्ते की जमीन रही जिस पर घूरे के कोई खातेदारी अधिकार शेष नहीं रहे थे। उक्त संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.03.2006 की पालना में तहसीलदार धौलपुर ने आदेश जेर अपील नामान्तकरण संख्या 560 ग्राम ऐदलपुर तह0धौलपुर दिनांक 24.03.2008 को ही तस्दीक किया जिसमें खसरा संख्या 276/2 रकवा 06 विस्वा में से 456 वर्गमीटर गैरमुमकिन आवादी का इन्द्रांज किया जो सही था परन्तु शेष भूमि 303 वर्गमीटर को बारानी किस्म प्रथम दर्ज करते हुये गलत रूप से रेस्पो0 संख्या–1 लगा0 8 के पूर्व पुरूष घूरे से मिल कर उसकी खातेदारी में दर्ज कर दिया जो प्रारम्भ से शून्य,गलत व अवैध नामान्तकरण आदेश था क्योंकि शेष जमीन के खातेदारी अधिकार तो राज्य सरकार के हक में रास्ते की चौडाई के बावत उक्त रेस्पो0सं01 लगा0 8 के पूर्व पुरूष घूरे ने भूमि रूपान्तरण के समय ही स्टाम्प पर लिख कर समर्पित कर दिये थे जिसके आधार पर कानूनन उक्त 303 वर्गमीटर जमीन तो राज्य सरकार के खाते में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जानी चाहिऐ थी। राज्य सरकार के हक में उक्त समर्पित भूमि का दाखिल खारिज करने के बजाय उक्त रास्ते की जमीन का घूरे की खातेदारी में दाखिल खारिज संख्या 560 आदेश जेर अपील बिना किसी आधार के दर्ज करने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध आदेश था जो काबिल निरस्ती के है और प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। घूरे ने अपनी उक्त रूपान्तरित भूमि 456

वर्गमीटर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 31.05.2006 को अपीलान्ट संख्या 1लगा0 3 तथा अपीलान्ट संख्या 4 लगा08 के पूर्व पुरूष रमेशचन्द के हक में बेचान कर दिया था और कब्जा केतागण को सौंप दिया था तब से उक्त भूमि पर अपीलान्टस बदस्तूर काबिज है। रमेशचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट संख्या 4 लगा08 उसके उत्तराधिकारीगण है। उक्त खसरा संख्या 276/2 का नया एल आर सी नम्बर 606/276 बनाया गया है और जिसका रकवा दो भागों में दर्ज दर्ज करते हुए नाप की नई इकाई हैक्टेयर में राजस्व रिकार्ड में इन्द्रांज किये गये जिसका कुल रकवा 0.0759 हैक्टेयर था जिसमें से गैर मुमकिन आबादी 0.0506 हैक्टेयर दर्ज की तथा रास्ते के रकवा 0.0253 हैक्टेयर भूमि को बारानी प्रथम दर्ज करते हुए उक्त घूरे जो रेस्पो0सं01 लगा0 8 के पूर्व पुरूष की खातेदारी में ही दर्ज कर दिया जो कि अवैध व शून्य आदेश था जिसके कारण रेस्पो0 संख्या 1 लगा0 8 ने अर्सा करीब 10 दिवस पूर्व अपीलान्ट को धमकी दी कि उक्त आराजी हमारी खातेदारी में है इसलिये उसे दूसरी जगह किसी लटठ वाले व्यक्ति को बेच देगें जो तुम्हारा रास्ता बन्द कर देगा। रेस्पो0 की इस धमकी के बाद अपीलान्टस ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कराया और आदेश जेर अपील की जानकारी नकले मिलने पर दिनांक 27.08.2024 को हुयी इससे पूर्व अपीलान्टस को कोई जानकारी आदेश जेर अपील की नहीं थी। अपील करने में जो देरी हुई है उस देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 560 ग्राम ऐदलपुर तहसील धौलपुर आदेश दिनांक 24.03.2008 को निरस्त किये जाने तथा प्रकरण पुनः रिकार्ड के अनुसार विधिवत निर्णय करने हेतु तहसीलदार मंनिया को रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या–1 लगा0 8 की ओर श्री दाऊदयाल शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा रेस्पो0सं09 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पो0सं01 लगा08 ने अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अर्सा करीब 10 दिवस पूर्व अपीलान्ट को धमकी दी कि उक्त आराजी मेरी खातेदारी में है इसलिये उसे दूसरी जगह किसी लटठ वाले व्यक्ति को बेच देगें जो तुम्हारा रास्ता बन्द कर देगा। रेस्पो0 की इस धमकी के बाद अपीलान्टस ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कराया और आदेश जेर अपील की जानकारी नकले मिलने पर दिनांक 27.08.2024 को हुयी इससे पूर्व अपीलान्टस को कोई जानकारी आदेश जेर अपील की नहीं थी। अपीलान्टस ने जानवूझ कर अपील प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या उपेक्षा नहीं की है। अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा किया जावे। रेस्पो0 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही की। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो0 संख्या–1 लगा08 के पूर्व पुरूष घूरे पुत्र मवसिया आराजी खसरा संख्या 276/2 रकवा 06 विस्वा ग्राम ऐदलपुर तहसील धौलपुर का तन्हा खातेदार कास्तकार था। उक्त आराजी 06 विस्वा में से 456 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण रेस्पो0सं01 लगा08 के पूर्व पुरूष घूरे ने अपने नाम दिनांक 24.03.2006 को तहसीलदार धौलपुर से कराया था। संपरिवर्तन भू–खण्ड का नक्शा आदेश के साथ संलग्न था जिसमें भूखण्ड की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 58 फुट तथा चौडाई पूरव से पश्चिम 84 फुट 6 इंच थी जिसका कुल क्षेत्रफल 456 वर्गमीटर था जो लगभग 04 विस्वा जमीन होती है तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगा08 के पूर्व पुरूष घूरे ने उक्त आराजी खसरा संख्या की शेष जमीन 56 X 58 फुट = 303 वर्गमीटर जो लगभग 02 विस्वा थी को सडक सीमा में रास्ते की चौडाई के लिए (फुटपाथ) के उपयोग हेतु सरकार के हक में अपने खातेदारी अधिकारों को समर्पित भूमि रूपान्तरण के समय ही कर दिया था जो रूपान्तरित भूमि के लिये रास्ते के लिए थी जिसका इन्द्रांज रूपान्तरण आदेश के साथ संलग्न नक्शा में भी यथा स्थान किया गया था 58 फुट लम्बा और 56 फुट चौडी जमीन के खातेदारी अधिकारों को स्टाम्प पर तहरीर करके रेस्पो0सं01 लगा0 8 क पूर्व पुरूष घूरे ने उक्त शेष जमीन रास्ते की चौडाई के लिए सरकार के हक में समर्पण कर अपने हक त्याग दिया था उस रास्ते की जमीन से घूरे का कोई सम्बध व हक नहीं रहा। उक्त संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.03.2006 की पालना में तहसीलदार धौलपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 560 ग्राम ऐदलपुर तह0धौलपुर दिनांक 24.03.2008 को ही तस्दीक किया जिसमें खसरा संख्या 276/2 रकवा 06 विस्वा में से 456 वर्गमीटर गैरमुमकिन आवादी का इन्द्रांज किया जो सही था परन्तु शेष भूमि 303 वर्गमीटर को बारानी किस्म प्रथम दर्ज करते हुये गलत रूप से रेस्पो0 संख्या–1 लगा0 8 के पूर्व पुरूष घूरे की खातेदारी में दर्ज कर दिया जो प्रारम्भ से शून्य,गलत व अवैध नामान्तकरण आदेश था क्योंकि शेष जमीन के खातेदारी अधिकार तो राज्य सरकार के हक में रास्ते की चौडाई के बावत उक्त रेस्पो0सं01 लगा0 8 के पूर्व पुरूष घूरे ने भूमि रूपान्तरण के समय ही स्टाम्प पर लिख कर समर्पित कर दिये थे जिसके आधार पर कानूनन उक्त 303 वर्गमीटर जमीन तो राज्य सरकार के खाते में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जानी चाहिऐ थी। राज्य सरकार के हक में उक्त समर्पित भूमि का दाखिल खारिज करने के बजाय उक्त रास्ते की जमीन का घूरे की खातेदारी में दाखिल खारिज संख्या 560 आदेश जेर अपील बिना किसी आधार के दर्ज करने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध आदेश था जो काबिल निरस्ती के है। अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 560 निरस्त किया जावे।

रेस्पो0संख्या–1लगा08 के अभिभाषक ने अपील में प्रस्तुत जबाव में अपीलान्ट के अभिकथनों को स्वीकार किया है तथा बहस उन्होने कथन किया कि अपील को स्वीकार किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है और अपीलान्ट के निवेदन अनुसार प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई व रिकार्ड के अनुसार निर्णित किये जाने के लिये तहसीलदार मंनिया को भिजवाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है पूर्व का नामान्तकरण संख्या 560 ग्राम ऐदलपुर निरस्त किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

न्याया0जिला कलक्टर धौ0
वमुकः उत्तमसिंह वगैरा बनाम सौनदेई वगैरा
अपील संख्या 26/2024

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि रेस्पो0 संख्या–1 लगा08 के पूर्व पुरूष घूरे पुत्र मवसिया आराजी खसरा संख्या 276/2 रकवा 06 विस्वा ग्राम ऐदलपुर तहसील धौलपुर का तन्हा खातेदार कास्तकार था। उक्त आराजी 06 विस्वा में से 456 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण रेस्पो0सं01 लगा08 के पूर्व पुरूष घूरे ने अपने नाम दिनांक 24.03.2006 को तहसीलदार धौलपुर से कराया था। संपरिवर्तन भू–खण्ड का नक्शा आदेश के साथ संलग्न था जिसमें भूखण्ड की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 58 फुट तथा चौडाई पूरव से पश्चिम 84 फुट 6 इंच थी जिसका कुल क्षेत्रफल 456 वर्गमीटर था जो लगभग 04 विस्वा जमीन होती है तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगा08 के पूर्व पुरूष घूरे ने उक्त आराजी खसरा संख्या की शेष जमीन 56 X 58 फुट = 303 वर्गमीटर जो लगभग 02 विस्वा थी को सडक सीमा में रास्ते की चौडाई के लिए (फुटपाथ) के उपयोग हेतु सरकार के हक में अपने खातेदारी अधिकारों को समर्पित भूमि रूपान्तरण के समय ही कर दिया था जो रूपान्तरित भूमि के लिये रास्ते के लिए थी जिसका इन्द्रांज रूपान्तरण आदेश के साथ संलग्न नक्शा में भी यथा स्थान किया गया था 58 फुट लम्बा और 56 फुट चौडी जमीन के खातेदारी अधिकारों को स्टाम्प पर तहरीर करके रेस्पो0सं01 लगा0 8 क पूर्व पुरूष घूरे ने उक्त शेष जमीन रास्ते की चौडाई के लिए सरकार के हक में समर्पण कर अपने हक त्याग दिया था उस रास्ते की जमीन से घूरे का कोई सम्बध व हक नहीं रहा। उक्त संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.03.2006 की पालना में तहसीलदार धौलपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 560 ग्राम ऐदलपुर तह0धौलपुर दिनांक 24.03.2008 को तस्दीक किया जिसमें खसरा संख्या 276/2 रकवा 06 विस्वा में से 456 वर्गमीटर गैरमुमकिन आवादी का इन्द्रांज किया जो सही था परन्तु शेष भूमि 303 वर्गमीटर को बारानी किस्म प्रथम दर्ज करते हुये गलत रूप से रेस्पो0 संख्या–1 लगा0 8 के पूर्व पुरूष घूरे की खातेदारी में दर्ज कर दिया जो शून्य,गलत व अवैध नामान्तकरण आदेश है क्योंकि शेष जमीन के खातेदारी अधिकार तो राज्य सरकार के हक में रास्ते की चौडाई के बावत उक्त रेस्पो0सं01 लगा0 8 के पूर्व पुरूष घूरे ने भूमि रूपान्तरण के समय ही स्टाम्प पर लिख कर समर्पित कर दिये थे जिसके आधार पर कानूनन उक्त 303 वर्गमीटर जमीन तो राज्य सरकार के खाते में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जानी चाहिऐ थी। राज्य सरकार के हक में उक्त समर्पित भूमि का नामान्तकरण करने के बजाय उक्त रास्ते की जमीन का घूरे की खातेदारी में नामान्तकरण संख्या 560 बिना किसी आधार के दर्ज करने के कारण शून्य व अवैध आदेश है जो काबिल निरस्ती के है। रेस्पो0संख्या–1 लगा0 8 ने अपील में प्रस्तुत जबाव में अपीलान्ट की अपील में अंकित अभिकथनों को स्वीकार किया है तथा दौराने बहस उन्होने कथन किया कि अपील को स्वीकार किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है और अपीलान्ट के निवेदन अनुसार प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई व रिकार्ड के अनुसार निर्णित किये जाने के लिये तहसीलदार मंनिया को भिजवाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार मंनिया को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 560 आदेश दिनांक 24.03.2008 ग्राम ऐदलपुर तहसील धौलपुर वर्तमान तहसील मंनिया निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मंनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पुनः रिकार्ड के अनुसार जांच कर विधिवत नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार मंनिया को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर